संख्याः 2159/79–6–2009

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 18 सितम्बर, 2009

विषयः योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित किसी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन न बनते पाये जाने की स्थिति की जानकारी होने पर यदि यह पाया जाय कि सम्बन्धित प्रधानाचार्य/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्या के निराकरण पर ध्यान नहीं दिया गया है अथवा समस्या के निराकरण न होने पर सक्षम स्तर पर लिखित रूप से स्थिति की सूचना नहीं दी गयी है तो ऐसी स्थिति में दोषी व्यक्ति का स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु संस्तुति मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के स्तर पर से न सिर्फ मण्डलायुक्त के संज्ञान में 15 दिनांक तक निरन्तर खाना न बनने की स्थिति में लाया जाएगा बल्कि 20 दिन पश्चात मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण तथा शासन के संज्ञान में भी लिखित रूप से तथ्यों को लाने का दायित्व उक्त अधिकारी का होगा।

मध्यान्ह भोजन हेतु दिए जाने वाले खाद्यान्न का उठान एक माह अग्रिम रूप से किए जाने की व्यवस्था वर्तमान में विद्यामान हैं जिससे निर्धारित माह में मध्यान्ह भोजन हेतु खाद्यान्न की कोई समस्या उत्पन्न न हो। उक्त खाद्यान्न को एफ0सी0आई0 से उठान करने के उपरान्त उठान एजेन्सी (आवश्यक वस्तु निगम 18 जनपद एवं खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के शेष जनपदों में) द्वारा खाद्यान्न को स्कूल तक पहुॅचाना सुनिश्चित नहीं किया जाता हैं। जिसका दायित्व को उठाान एजेन्सी कोटेदारों के माध्यम से प्रचलित व्यवस्था के अनुसार सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से प्रधान/स्कूल तक पहुॅचाते हैं, तो ऐसी दशा में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) का यह दायित्व होगा कि वह एफ0सी0आई0 से उठान होने के उपरान्त उठान एजेन्सी के माध्यम से खाद्यान्न को एक माह अग्रिम में निर्धारित उठान तिथियों में उठान सुनिश्चित कराते हुए प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक निर्धारित समय के अन्तर्गत समन्वय कर भिजवाना सुनिश्चित करायेंगे।यदि खाद्यान्न उठान होकर समयान्तर्गत विद्यालयों तक नहीं पहुॅचता है और इसकी सूचना उच्च प्रशासनिक अधिकारियों/राज्य स्तरीय टास्क फोर्स अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से हसंज्ञान में आंती है तो संबंधित मण्डलीय सहायग शिक्षा निदेशक (बे0) को तत्काल विशेष प्रतिकूल प्रविष्टिप्रदान की जायेगी तथा संबंधित मण्डलीय समन्वयक (एम0डी0एम0) को जिलाधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।उक्त कार्यवाही की सूचना प्राधिकरण/शासन को कृत कार्यवाही के उपरान्त तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी।

जनपदों में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षा संबंधी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सूचनाओं के संकलन का दायित्व न्याय पंचायत स्तर पर सुनिश्चित

करने के लिए एक न्याय पंचायत रिसोर्स संन्टर समन्वयक (बी0आर0सी0) को उपलब्ध करायेंगे।विकास खण्ड पर सूचनाओं के संकलन के उपरान्त सूचनाएं संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,जनपद समन्यवक (एम0डी0एम0) सूचनाएं प्राप्त होने के 02 दिन के अन्दर परीक्षणोपरान्त कंप्यूटर के माध्यम से ऑन लाईन मध्यान्ह भोजन,प्राधिकरण को अनिवार्यतः प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे तथा जनपदों से सूचनाओं को संकलित कराकर मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) मण्डलीय समन्वयक (एमडीएम) से प्राप्त करेंगे और उसे मण्डलायुक्त के संज्ञान में लाते हुए प्राधिकरण को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे।यदि किसी जनपद से जनपद समन्वयक (एम0डी0एम0) को सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सूचनाएं समयान्तर्गत संकलित कराकर नहीं प्रेषित की जाती हैं,तो उसके विरूद्ध करर्यवाही की संस्तुति भी मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) करते हुए प्राधिकरण/शासन को अवगत करायेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद समन्वयक से सूचनाअें को संकलित कराकर ऑन लाईन प्राधिकरण को उपलब्ध करायेंगे तथा मण्डल स्तर से मण्डलायुक्त के संज्ञान में लाते हुए मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) मण्डलीय समन्वयक (एम0डी0एम0) के माध्यम से निर्धारित प्रथम सप्ताह की 04 तारीख तक अनिवार्यतः शुद्ध सूचनाओं का ऑन लाईन प्रेषण सुनिश्चित करायेंग।

विकास खण्ड स्तरीय एंव जनपद स्तरीय टास्कफोर्स के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष किए गये एम0डी0एम0 निरीक्षणों की स्थिति तथा पायी गयी कमियों(मध्यान्ह भोजन का वितरण न होना एंव खराब गुणवत्ता की स्थिति) के विषय में जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध जनपद स्तर से की गयी कार्यवाही तथा जनपद स्तरीय कार्यालय के स्तर पर यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही हेतु संस्तुति करते हुए भी मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) द्वारा सूचना प्राधिकरण/शासन को प्रत्येक दशा में माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराई जायेगी।

कतिपय अन्य बिन्दुओं पर भी तत्परता से कार्यवाही अपेक्षित होगी जो निम्नवत हैः–

1– प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन वितरण के समय विद्यालयों में उपलब्ध टाटपट्टी/चटाई का प्रयोग बच्चों को भोजन ग्रहण करते समय साफ–सफाई के दृष्टिकोण से अवश्य किया जायेगा तथा पुनः भोजन वितरण के उपरान्त उसे कक्षाओं में शिक्षण कार्य हेतु पूर्व की भॉति उपयोग में लाया जायेगा। भोजन बनाने के उपरान्त उसमेंकिसी प्रकासर के जीव–जन्तु न गिर पडें जिससे भोजन प्रदूषित हो जाय, की प्रवृत्ति को रोकने के लिए भोजन को ढक कर रखना रसोईये का दायित्व होगा। स्वच्छता की दृष्टि से तैयार किये गये भोजन को ढक कर जमीनी सतह से ऊपर रखने केलिए विद्यालय में विद्यालय किचेन शेड में बने प्लेटफार्म/उपलब्ध ईटों का प्रयाग सुनिश्चित किया जायेगा तथा उस पर रखे पात्र में बने भोजन को ढकरने के लिए मारकीन के कपड़े के साफ टुकड़े प्रधान/प्रधानाध्यापक स्कूल में रसोईये को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे, जिससे भोजन के बनने के उपरान्त उसे ऊॅचाई पर रखकर ढक दिया जाय और उसमें किसी भी प्रकार जीव–जन्तु कीड़े–मकोड़े के तैयार भोजन में गिरने की संभावना न रहे। उक्त दायित्व को रसोईये के स्तर से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रधानाध्यापक, एनपीआरसी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होगे। यदि किसी विद्यालय में भोजन बनने के उपवरान्त दूषित होने संबंधी कोई प्रकरण दूरदर्शन/समाचार पत्रों अथवा जन सामान्य की शिकायतों के रूप में संज्ञान में आता हैं, तो भोजन की स्वच्छता एवं शुद्धता के प्रति बरती जाने वाली लापरवाही के लिए उक्त वर्णित व्यक्ति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार भोजन की स्वच्छता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

2– मध्यान्ह भोजन हेतु प्राप्त होने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एफ0सी0आई0 से खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करते समय भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार बनाई गयी समिति के स्तर से जिलाधिकारी के प्रतिनिधि, जिला खाद्य विपणन अधिकारी (डिप्टी आर0एम0ओ0), जिलापूर्ति अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे जो उठान से पूर्व खाद्यान्न की मात्रा व गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उपरान्त ही खाद्यान्न के उठान हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। इस संबंध में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) भी मण्डल गुणवत्ता की शिकायत के संज्ञान में आने पर संबंधित समिति के सदस्य जिम्मेदार होंगे तथा उनके विषय में

जिलाधिकारी स्तर से कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण/शासन को अवगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– एम0डी0एम0 हेतु प्राप्त होने वाले खाद्यान्न के बोरों पर हरे रंग से एम0डी0एम0 शासनादेश सं0–1407/मु0वि0अ0/मध्यान्ह भोजन/दिनांक 31 मार्च,2006 के क्रम में लिखना अनिवार्य होगा।

4– बोरों में उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा में कमी पाये जाने पर भी संबंधित समिति उठान से पूर्व अपने समक्ष बोरों का वजन रैन्डम स्तर पर सुनिश्चित कराएगी तथा उठान के उपरान्त उठान एजेन्सी के विकास खण्डों पर स्थित गोदामों से कोटेदार द्वारा उठान किए जाने की अवधि के प्रत्येक दिवस को सायं उठान कराने वाले कोटेदारों की सूचना सम्बन्धित ज्येष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक से सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी लिखित सूचना प्राप्त करेंगे तथा उक्त तिथियों के उपरान्त तक सतर्क दृष्टि भी रखेंगे, जिससे उठान की निर्धारित तिथियों जो अमूमन एक सप्ताह के अन्तर्गत होती हैं के अन्त में कितने कोटेदारों द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के खाद्यान्न का उठान नहीं किया गया हैं की जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके तथा उसे संकलित करते हुए उठान तिथियों की समाप्ति के उपरान्त सहायक बेसिक शिक्षा अधकारी द्वारा तत्काल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला समन्वयक (एम0डी0एम0) के संज्ञान में लाया जायेगा। जिला माध्यम से लिखित सूचना प्राप्त होने पर उठान न करने वाले कोटेदार के विरूद्ध उठान तिथियों की समाप्ति के एक दिन पश्चात अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी के संज्ञान में तथ्यों को लिखित रूप से लायेंगे। जिलाधिकारी ऐसे सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के विरूद्ध सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के माध्यम से तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे जिससे किसी भी दशा में एम0डी0एम0 हेतु प्राप्त होने वाले खाद्यान्न के उठान न होने से उनके लैप्स होने का कोई भी प्रकरण न घटित होने पाये और यदि किन्हीं कारणों वश एक बार ऐसी स्थिति आती है तो भविष्य में उसकी पुनर्रावृत्ति न होने पाये।

5– मध्यान्ह भोजन योजना हेतु दिए जाने वाले खाद्यान्न के उठान के समय भारतीय खाद्व निगम के गोदामों से पारदर्शी शीशी अथवा परदर्शी पालीथीन पैक में दिए जाने वाले गेंहूँ/चावल का सैम्पल नियमानुसार एक अदद एफ0सी0आई0 के भण्डार पर रखा जाएगा तथा नमूने का दूसरा उदद उठान एजेन्सी अपने विकास खण्ड स्तरीय गोदामों पर रखेगी । पुनः उठान एजेन्सी का भी यह दायित्व होगा कि वह सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को खाद्यान्न जारी करते समय दिए जाने वाले खाद्यान्न के नमूने की 03 शीशी/पारदर्शी पालीथीन पैक में तैयार करें। जिसमें से 02 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जाएगा जिसे वे एक अपनी दुकान पर तथा दूसरा प्रधान को स्कूल पर खाद्यान्न की उपलब्धता की अवधि तक रखने के लिए उपलब्ध करायेंगे और शेष नमूना शीशी अथवा पालीथीन पैक अपने पास उठान एजेन्सी रखेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जो खाद्यान्न समिति के समक्ष उठान से पूर्व हुई जांच में पाया गया था, वही उठान एजेन्सी के गोदामों से होते हुए सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से प्रधानों/विद्यालयों तक पहुंचा है और किसी भी उच्च स्तरीय अधिकारी के निरीक्षण अथवा जनपद स्तरीय/विकास खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स निरीक्षण के समय भी नमूना सम्बन्धी यह शीशी अथवा पारदर्शी पॉलीथीन पैक सम्बन्धित प्रत्येक विद्यालय पर उपलब्ध रहें, जिससे उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता किसी भी दशा में जारी हुए खाद्यान्न की फेयर एवरेज क्वालिटी से कम न होने पाये। साथ ही उठान एजेन्सी उठान अवधि के उपरान्त प्रत्येक दिन की समाप्ति एवं प्रत्येक दिन के प्रारम्भ में खाद्यान्न जारी करने से पूर्व गोदाम के नोटिस बोर्ड पर एम0डी0एम0 हेतु माह में उपलब्ध कुल खाद्यान्न एवं उस तिथि तक उठाए गये खाद्यान्न का विवरण अनिवार्य रूप से अंकित करेगी। इसका अनुपालनन करने पर सम्बन्धित उठान एजेन्सी के सम्बन्धित गोदाम प्रभारी उत्तरदायी होंगे जिनके विरूद्ध कार्यवाही नियतान्तर्गत सुनिश्चित किए जाने हेतु भी रिपोर्ट अनुश्रवण के उपरान्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त के संज्ञान में लाई जाएगी।

6– उठान से पूर्व निर्धारित मात्रा बोरों में हो यह सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित उठान एजेन्सी द्वारा कांटा–बांट आदि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से सक्षम स्तर से स्टाम्प किया हुआ होना चाहिए और जिसकी रसीदें भी सम्बन्धित उठान एजेन्सी के गोदाम पर रहनी चाहिए तथा जिससे उठान

से पूर्व जनपद स्तरीय समिति, खाद्यान्न के बोरे में निर्धारित मात्रा में होना सुनिश्चित करा सकेगी। उक्त समिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी जनपद स्तर पर दायित्व निर्वहन हेतु एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं तथा विकास खण्ड स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी उक्त दायित्व का निर्वहन करेंगे। अपने समक्ष उठान हेतु निर्धारित एक सप्ताह की अवधि के शुरू होने से पूर्व रैन्डम पद्धति से बोरों को तौलाकर तथा उनकी गुणवत्ता देखकर ही उठान हेतु संस्तुति करना सुनिश्चित करेंगे और किसी माध्यम से जिलाधिकारी के स्तर पर प्रत्येक माह होने वाली टास्क फोर्स की बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा मण्डलायुक्त की बैठक में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा अनिवार्य रूप से रखा जाएगा और उस पर लिए गये निर्णय से प्राधिकरण/शासन को अवगत कराने का दायित्व भी मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) का होगा।

7— मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रत्येक माह सम्पन्न होने वाली 07 तारीख की प्रदेश स्तर की बैठक से पूर्व माह की 05 तारीख तक लिखित रूप से यह सूचना प्राधिकरण/शासन को उपलब्ध करायेंगे कि उठान की अवधि के दौरान कितने विद्यालयों में उठान एजेन्सी द्वारा खाद्यान्न समयान्तर्गत नहीं उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने का दायित्व उठान एजेन्सी का भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप है।

उक्त वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन शासनादेश संख्याः 2053/79—6—09 शिक्षा अनुभाग—6 दिनांक 07.09.2009 के साथ तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित कराया जाय। मध्यान्ह भोजन योजना के सफल संचालन हेतु अक्षरशः प्रभावी अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः—यथोक्त

भवदीय

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
सचिव